XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला– सतना

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1247-II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता हैं । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 अ.रा.प्र. 1247-II-15

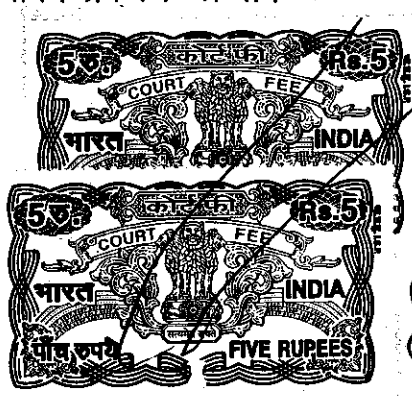

धर्मदत्त पाण्डेय पुत्र स्व. श्री गोपालदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम कैथा टोला तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

(1) हनुमानदत्त पाण्डेय पुत्र स्व. गोपालदत्त

(2) सुरेन्द्र दत्त पाण्डेय पुत्र श्री गोपालदत्त पाण्डेय

दोनों निवासी ग्राम कैथा टोला/कोलगंवा सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

——अनावेदक

श्री विनोद भार्गव - एडवोकेट 30-5-15 द्वारा प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 30 मई 15

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 30/5/15

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-505-II/04 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/3/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 27/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 27/3/15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-505-II/04 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक 30/5/15

स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी

धर्मदत्त पाण्डेय – आवेदक

(द्वारा– अभिभाषक)

आर. डी. शर्मा

एडवोकेट